गोरधन / अनीता

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
.7.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट अभिभाषक को सुना गया। अपील subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली दिनांक 29.07.2021 को पेश हो। [signature]	
29/7/21	[illegible] के विरोध में कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली [illegible] तदनुसार वास्ते बहस दिनांक 3.8.21 को पेश हो। रेस्पो. संख्या-1 की ओर से श्री जयप्रकाश शर्मा एड. के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पो. अभिभाषक को नकल अपील एवं स्थगन प्रार्थना-पत्र दिलाई गई। [signature]	नकल प्राप्त की जयप्रकाश शर्मा 29.7.2021
3/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन बहस को समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन दिनांक 5.8.21 को पेश हो। [signature]	
5/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभि. उभयपक्ष उपस्थित। स्थगन प्रा. पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रा० वास्ते आदेश स्थगन दिनांक 10.8.21 को पेश हो। [signature]	
10.8.21	पत्रावली स्थगन प्रा० पत्र पर आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। वकील अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हुई थी। क्योंकि उक्त निर्णय हमारी पीठ पीछे पारित किया गया है।	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही

इसलिये अपील पेश करने में देरी हुई है। अतः देरी को माफ किया जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि इस विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं। कानून रेकार्डेड खातेदार के खिलाफ अन्तरिम स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और हमको गलत तौर पर अन्तरिम स्थगन से पाबन्द कर दिया। अतः निवेदन है कि हमारा स्थगन प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे।

जवाब में वकील कैवियटर का कथन है कि अपील मियाद बाहर है। इसलिये मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज की जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 ने वादी की दादालाई की भूमि, जो ग्राम भांगल अटेली हरियाणा में स्थित थी, का बेचान कर उससे प्राप्त धन राशि से खरीदी थी। प्रतिवादी सं. 1 ला. 5 आपस में साजबाज है, जो वादी को उसके हकों से वंचित रखना चाहते हैं। प्रतिवादी ने वादी के नाम भूमि कराने से इन्कार कर दिया। इसलिये हमने दावा किया। दौराने विचारण वाद प्रतिवादी अपीलांट ने भूमि खुद बुर्द कर दी तो हमारे वाद पत्र की मन्शा ही समाप्त हो जायेगी। इसलिये सही तौर पर तहत अदालत ने यथास्थिति का अन्तरिम स्थगन जारी किया है। अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा० पत्र खारिज किया जावे।

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरों में मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में व नरम रूख अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है।

माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी अनेकों नजीरो में प्रतिपादित किया है कि दौरान विचारण वाद भूमि को नुकसान ना पहुंचे, उसका दुर्व्ययन ना हो, पक्षकारों के बीच अनावश्यक विवाद ना पटे आदि, इन सभी सम्भावनाओं से बचने हेतु यथास्थिति के आदेश दिये जाने चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में तहत अदालत ने यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया है, जिसमें हम माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। लिहाजा ~~स्थगन~~ अपीलांट का स्थगन प्रा० पत्र खारिज किया जाता है।

चूंकि तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर प्रतिवादी अपीलांट को अपनी आपत्ति पेश करने हेतु नोटिस जारी किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को चाहिये कि वो तहत अदालत में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्तरिम स्टेज पर अपीलांट को अपील में किसी प्रकार की रिलीफ देय नहीं है।

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधि[कारी]
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	अतः आदेश है कि अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो उनके यहाँ लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T. एक्ट में उभयपक्ष को सुनकर उक्त प्रा० पत्र का निस्तारण CPC के आदेश 39 नियम 3 क में दी गई समयावधि 01 माह में करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में नियत दिनांक को उपस्थित हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। [signature] 1/8/2021 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर